

२४/११/२०

पत्रावली आज बेश हूई। वकील पार्थी अनुपस्थित।
पार्थी स्वयं अनुपस्थित। पार्थी को गण अधिवक्ता
कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें
दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के पार्थी
के पार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त
इनवान प्रकरण पार्थी की अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
केसल शुमार होकर दाखिल इफ्तर हो।

७/११

बहायक कलेक्टर, गुड़ामालाई

